आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28-02-2024	**वाद सं0—06 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती निशा घोष, ग्राम—जनार्दनपुर, पं0—बागडेहरी, प्र0—कुण्डहित, जामताड़ा वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा अनुपस्थित। शिकायतकर्ता के शिकायत पत्र पर आयोग ने 16.02.2024 को सुनवाई करने का निर्णय लिया। आयोग ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को नोटिस निर्गत कर शिकायतकर्ता को PMMVY की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने अपने पत्रांक—51 दिनांक—11.01.2024 के माध्यम से ये बताया कि लाभुक को भुगतान करने के लिए 25.08.2023 को online entry किया जा चुका है और उक्त योजना में लाभुकों को भुगतान जिला स्तर से नहीं किया जाता है। लाभुक का भुगतान राज्य स्तर पर लंबित है। गौरतलब है कि आयोग ने पूर्व देवघर जिले से संबंधित ऐसे मामलों में विभाग को पत्र प्रेषित किया था। लेकिन विभाग के द्वारा भी कोई जवाब आयोग को नहीं आया। ऐसे में आयोग निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को निर्देश देता है कि वो विभाग से संपर्क कर लाभुक को लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और अनुपालन का प्रमाण आयोग को उपलब्ध करायें। आदेश की प्रति निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को अनुपालन हेतु भेजें। साथ ही परिवादी के परिवाद पत्र एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की प्रति भी निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को भेजें। दिनांक— 28.03.2024 को अभिलेख उपस्थापित करें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx3	